

क्रमांक-एफ.(1)रीपा/संस्था-I/2016/4148-97

दिनांक: 09/5/2018

कार्यालय आदेश

संस्थान के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन सम्बन्धी पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के मध्य प्रशासनिक कार्यों का निम्नानुसार विभाजन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	संकाय का पद	लिक अधिकारी	कार्य आवंटन
1.	अतिरिक्त महानिदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव (प्रशिक्षण)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	<ul style="list-style-type: none"> ■ समन्वयक, लोक नीतिशास्त्र केन्द्र ■ विभागीय परीक्षाओं का पर्यवेक्षण ■ रीपा के समस्त कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण ■ प्रशिक्षण एवं आयोजना संबंधी कार्य तथा समन्वय ■ आई.ए.एस. एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के प्रोबेशनरों का प्रशिक्षण का समन्वय ■ रीपा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ■ राष्ट्रीय संस्थान व अन्य संस्थानों से किये जाने वाले MOU का पर्यवेक्षण ■ पुस्तकालय, प्रकाशन, टेलीफोन कार्यों का पर्यवेक्षण ■ केस-स्टडी एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण का पर्यवेक्षण करना ■ प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण ■ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय/सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य एवं राज्य प्रशिक्षण नीति ■ टी.एम.आई.एस. का पर्यवेक्षण ■ सूचना के अधिकार अधिनियम सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण ■ ASTI से सम्बन्धित कार्य का पर्यवेक्षण
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	अतिरिक्त निदेशक (लेखा)	<ul style="list-style-type: none"> ■ विभागाध्यक्ष, रीपा ■ संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण) ■ सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य का समन्वय ■ विश्रान्ति, कॉटेज, गेस्ट हाऊस, मैस एवं संस्थागत सुविधाओं का पर्यवेक्षण ■ राज्य सेवा अधिकारियों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण की तैयारी एवं समन्वय ■ विधानसभा सम्बन्धी प्रकरणों का पर्यवेक्षण ■ भौतिक सत्यापन के कार्य का समन्वय ■ प्रभारी अधिकारी कैम्पस के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण ■ आर.यू.आई.डी.पी. एवं शहरी सुशासन केन्द्र की स्थापना का पर्यवेक्षण